Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक 782/2015 दिनांक 22/12/2015

विषयः-नया रायपुर सेक्टर-29 में आबंटित सीनियर एम.आई.जी. की मूल्य वृद्धि के संबंध में।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा नया रायपुर सेक्टर-29 में 43 सीनि. एम.आई.जी. आवास का निर्माण कार्य किया गया है। इसमें से 39 आबंटियों द्वारा भवन की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को अनुचित मानते हुए मूल्य में कमी करने की मांग करते हुए पूर्ण राशि जमा नही की गयी है। मण्डल द्वारा मांग की गयी राशि आबंटन के नियम/शर्तो के अनुरुप है, किन्तु आबंटी कुछ तथ्यों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे है।

नया रायपुर सेक्टर-29 में निर्माणाधीन 43 सिनियर एम.आई.जी. भवनों का प्रतिभवन अनुमानित मूल्य रु.25.60 लाख रखा गया था। भवन निर्माण होने के पश्चात् भवन का अंतिम मूल्य निर्धारण प्रतिभवन मूल्य रु.34.50 लाख हुआ है। अनुमानित राशि से अधिक मूल्य वृद्धि होने के कारण तथा निर्धारित समयावधि से अधिक विलंब होने से ब्याज राशि अधिक होने के कारण आबंटियों द्वारा बढ़े हुए दर की राशि तथा ब्याज राशि जमा नही की गयी एवं बढ़ा हुआ भवन का मूल्य एवं ब्याज राशि माफ करने हेतु अनुरोध किया गया तथा आपत्ति उठाई गयी है। उक्त भवनों के आबंटियों के विरुद्ध बकाया राशि रु.42122124.76 राशि वसूली योग्य दर्शाया गया है जिसमें 100% लंबित अवधि का ब्याज राशि रु.4568875.76 सम्मिलित है। वर्तमान में मण्डल परिपत्र क्रमांक-744/2015 दिनांक 15.12.2015 द्वारा अवशेष किश्तों की संपूर्ण राशि हितग्राहियों द्वारा एक बार में जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज पर 50% की छूट दिनांक 31.12.2015 तक प्रभावशील है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-32 संकल्प क्रमांक 1373-32/49/12/2015 द्वारा दीर्घ-विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भवनों के बढ़े हुए मूल्य को स्थिर रखते हुए विलंब अवधि का 100% ब्याज राशि रु.4568875.76 माफ करते हुए आबंटियों से भवन मूल्य की शेष राशि (रु.42122124.76(-)रु.4568875.76) = रु.37553249.00 जमा कराए जावे। मण्डल की निधी तरलता सुदृढ़ करने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर को अधिकृत किया गया है।

22/12

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

क्रमशः-02

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

पृ.क्र.2862/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-186 /15 रायपुर, दिनांक 22/12/2015

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,रायपुर /दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/रायगढ़/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2,रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीगसढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल 22/12
रायपुर

E:\F\Rup\CEO\All Files 2015\Adesh.docx- 79 -